न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2023
जीसीएमएस संख्या–2023/107

प्रार्थीगण   बनाम   अप्रार्थीगण
                                                  राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

1. मंगलाराम पुत्र हरकाराम
2. पुराराम पुत्र गोपाराम
3. रूपाराम पुत्र गोपाराम
4. सुरजाराम पुत्र गोपाराम
5. देवी पत्नी चेतनराम
6. महेन्द्रराम पुत्र चेतनराम
7. शान्तीदेवी पुत्री चेतनराम
8. सुरेश पुनियां पुत्र चेतनराम
9. हनुमानराम पुत्र चेतनराम
   जातियान जाट निवासीगण
   खेड़ीचारणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

दर्ज दिनांक 12/05/2023

श्री अशोक कड़वासरा–प्रार्थीगण की ओर से

तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

निर्णय   दिनांकः– 13/11/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडी कला पटवार हल्का खेडी सालवा भू अभिलेख निरक्षक क्षेत्र सालवा खुर्द तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी सख्या 01 की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 99 रकबा 4.1259 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा कृषि भूमि है । उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 116 व पुराना 194 पर इन्द्राजसुदा है। ग्राम खेड़ी कला में प्रार्थी संख्या 02 से 04 तक की कृषि भूमि खसरा संख्या 99/1 रकबा 4.1259 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खाता संख्या नया 34 व पुराना 46 पर इन्द्राजसुदा है। ग्राम खेडी कला में प्रार्थी संख्या 05 से 09 तक खसरा सख्या 99/2 रकबा 4.1987 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम खाता संख्या नया 41 व पुराना 66 पर इन्द्राजसुदा है। सबूत में नकल जमाबंदी सवत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति व कम्प्यूटर प्रिन्ट नक्शा पेश किया। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निरबाद रूप से चला आ रहा है प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्राथीगण अपना जीवन यापन करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर पास स्थित अन्य खसरान जो पडौस में अन्य खातेदारान की कृषि भूमि आई हुई है,क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान अपने स्तर पर करने पर प्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड से मिलान करने पर कम पड़ रही है इसलिए प्रार्थीगण को पूरा अंदेशा है कि प्रार्थीगण रेवन्यू रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार पीपाड शहर को उक्त कृषि भूमि का सीमाकन प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस अनुसार सम्बंधित हल्का पटवारी व आरआई उपस्थित होकर नाप चौक किया जिनमें सम्बंधित हल्का पटवारी द्वारा बनवाई गई मौका फर्द रिपोर्ट में हम प्रार्थीगण की खातेदारान की भूमि अन्य पडौसियान की कृषि भूमि में हमारी कृषि भूमि होना पाया गया है लेकिन प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधीपत्य के साथ कब्जा रखना आवश्यक समझता है । हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि के लिए कब्जासुदा खातेदारान से छोड़ने बाबत बात कही तो उक्त पड़ोसियान अन्य खातदोरान उक्त कृषि भूमि को छोड़ने से मना कर दिया । तत्पश्चात हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को छुडवाने के लिए कहा कि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने हक एवं हिस्से की कृषि भूमि अन्य पड़ोसियान द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट को गलत बताकर उक्त मौका रिपोर्ट को नहीं मानने के कारण हम प्रार्थीगण द्वारा अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे व नक्शे के कहे अनुसार नाप चौक करवाना आवश्यक समझते

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हैं व प्राथर्थीगण को नाप चौक करवाने की आवश्यकता भी है। प्राथीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वर्णित वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार / तारबंदी करवाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 का नाप चोक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/ मुण्डागढ़ी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी है जिससे मविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादग्रस्त खसरान के चारो तरफ अन्य खसरे जो कृषि भूमि से गिरे हुए है इसलिए वादग्रस्त खसरे की सीमाओं को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद प्रार्थीगण / अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच में विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए अप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थीगण द्वारा दीवार व तारबंदी के दौरान रास्ते पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवार देंगे एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देंगे तथा नियमानुसार कमिशनर फीस अदा कर देगे। अतः उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम खेडी कलां में स्थित खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 की संयुक्त कृषि भूमि का नाप चौक किया जाकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार संबंधित हल्का पटवारी खेड़ीसालवा ने पूर्व में उक्त भूमि का सीमांकन किया, परन्तु खातेदार सहमत नहीं हुए, अतः ग्राम खेड़ी कलां के खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम खेड़ी कंला के खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया जिसके आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेड़ी कंला के खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेड़ी कंला के खसरा संख्या 99, 99/1 व 99/2 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । तहसीलदार पीपाड़ शहर बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 13/11/20 .... को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर